न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
31 / 2024 प्रा.पत्र / 2024	14.05.2024	12.12.2024

सुरेश कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन निवासी ग्राम रोहित पोस्ट झुण्डवा तह. उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स श्रीराम किराणा स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक। पिनकोड–304024 मोबाईल नं0 9269139232।

2–मैसर्स श्रीराम किराणा स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक। जिला टोंक। पिनकोड–304021।

3–श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र श्री रामबिलास जैन निवासी वार्ड नं0 9 अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक राज0 प्रोपरायटर मैसर्स रामबिलास चन्द्रप्रकाश जैन मेन मार्केट अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304023

4–मैसर्स रामबिलास चन्द्रप्रकाश जैन मेन मार्केट अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304023

5–श्री नवीन खण्डेलवाल पुत्र श्री महेन्द्र खण्डेलवाल निवासी ख–52, भवानी नगर, मुरलीपुरा विद्यालय के सामने सीकर रोड, डेहर के बालाजी जयपुर राज0 पार्टनर मैसर्स सांवरिया एग्रो फूड प्रोडक्ट ए–4 मोहित नगर, सरना डूंगर, रीको इण्ड. एरिया झोटवाडा एक्सटेंशन जयपुर राज0। पिनकोड–302012।

6– मैसर्स सांवरिया एग्रो फूड प्रोडक्ट ए–4 मोहित नगर, सरना डूंगर, रीको इण्ड. एरिया झोटवाडा एक्सटेंशन जयपुर राज0। पिनकोड–302012।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण की ओर श्री नवीन खण्डेलवाल उप.।

:–निर्णय–: दिनांक: 12/12/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.08.2023 को समय 04:15 पी.एम. पर मैसर्स श्रीराम किराणा स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स श्रीराम किराणा स्टोर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक पर गुड, तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर स्वयं को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/896 दिनांक 08.09.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/3313/एक्ट/2023/3393 दिनांक 28.08.2023 के अनुसार विकेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **कच्ची कुकिंग मीडियम(विश्वास गोल्ड ब्रण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विकेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री नवीन खण्डेलवाल उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र कुछ मानकों में अन्तर होने के कारण जांच में उक्त खाद्य पदार्थ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **कुकिंग मीडियम(विश्वास गोल्ड ब्रण्ड)** का विक्रय कर रहे थे, वह Baudouin test में निगेटिव पाया गया है। वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **कुकिंग मीडियम(विश्वास गोल्ड ब्रण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/12/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0